रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/95

REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 353] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 30, 1995/भाद्र 8, 1917
No. 353] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 30, 1995/BHADRA 8, 1917

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1995

सा० का० नि० 605(अ).—केन्द्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियम, 1995 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 में, नियम 2 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"2-क राज्य सरकारों द्वारा किसी प्रयोगशाला को समुचित प्रयोगशाला" के रूप में मान्यता प्रदान करना

(1) आवेदक, । समुचित प्रयोगशाला के रूप में मान्यता अधिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवेदन, सुसंगत ब्यौरे सहित, तीन प्रति में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विहित प्रोफार्मा में राज्य सरकार के उपभोक्ता संरक्षण कार्य से संबंध विभाग को भेजेगा ।

(2) राज्य सरकार, आवेदक से आवेदन प्राप्त करने पर, उसकी दो प्रतियां भारतीय मानक ब्यूरो को उनके (भारतीय मानक ब्यूरो) द्वारा विहित मानकों के आधार पर प्रयोगशाला की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए अग्रेषित करेगी । भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रभारित फीस आवेदक द्वारा संदत्त की जाएगी ।

(3) राज्य सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो की सिफारिशों और अनुमोदन प्राप्त होने पर, उसे प्रयोगशाला को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रयोजन के लिए "समुचित प्रयोगशाला" के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित करेगी ।

[मिसिल सं॰ 9/50/93-सी॰पी॰यू॰]
कमल किशोर, आर्थिक सलाहकार

टिप्पणी : मुख्य नियम, सा॰ का॰ नि॰ 398(अ) दिनांक 15 अप्रैल, 1987 द्वारा अधिसूचित किए गए थे, जिन्हे सा॰ का॰ नि॰ 533(अ) दिनांक 14-8-1991 और सा॰ का॰ नि॰ 800(अ) दिनांक 30-12-1993 द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Cunsumer Affairs & Public Distribution System)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 1995

G.S.R. 605(E).--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the Central Government hereby make the following rules further to amend the Consumer Protection Rules, 1987, namely :--

1. (1) These rules may be called the Consumer Protection (Amendment) Rules, 1995.
(2) They shall come into force on the date of their pblication in the Official Gazette,

2. In the Consumer Protection Rules, 1987, after rule 2, the following rule shall be inserted, namely :--

"2-A State Governments to recognise a laboratory as an appropriate laboratory

(1) For the purpose of obtaining recognition as an appropriate laboratory, the applicant shall send application, in triplicate, in the proforma prescribed by the Bureau of indian Strandards with the relevant details to the Department concerned with the consumer protection work in the State Government.

(2) The State Government on recieving the application from the applicant, shall forward its two copies to the Bureau of Indian Standards to assess the suitability of the laboratory from the standards prescribed by them (Bureau of Indian Standards). The fee charged by the Bureau of Indian Standards, for this purpose, shall be paid by the applicant.

(3) The State Government on receiving the recommendations and approval of the Bureau of Indian Standards, shall notify that laboratory as an "appropriate laboratory" for the purpose of Consumer Protection Act, 1986 for a period of three years."

[F. No. 9/50/93-CPU]
KAMAL KISHORE, Economic Adviser

Note : The principal rules were notified vide G.S.R. 398(E) dated 15th April, 1987 as amended by GSR 533(E) dated 14-8-1991 and GSR 800(E) dated 30-12-1993.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 1995